प्रेस नोट थाना सेहरामऊ दक्षिणी

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक – 05.06.2026

थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा अपहरण उपरान्त हत्या कर शव छिपाने की घटना का सफल अनावरण, प्रेम प्रसंग के चलते घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, मृतक का शव बरामद।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सेहरामऊ दक्षिणी के नेतृत्व में थाना सेहरामऊ दक्षिणी को मिली बडी सफलता।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा श्री सत्यवीर सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मानपुर मलिकापुर, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने भाई ओमकार पुत्र विजेन्द्र के घर से कहीं चले जाने के संबंध में दिनांक 06.03.2026 को थाना स्थानीय पर गुमशुदगी क्रमांक-06/2026 पंजीकृत करायी गयी थी। उल्लेखनीय है कि मृतक/गुमशुदा ओमकार दिनांक 23.02.2026 को तिलहर न्यायालय में तारीख पर जाने हेतु घर से निकला था, जिसके उपरांत वह वापस नहीं लौटा। उक्त प्रकरण में गुमशुदा व्यक्ति की तलाश एवं पुलिस जाँच के क्रम में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 04.06.2026 को वादी द्वारा अपने भाई ओमकार के अपहरण किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0158/2026 धारा 140 (1) बीएनएस बनाम 1. नन्हे पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम लिनथरा, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर एवं 2. ओमा भारती पत्नी ओमकार निवासी ग्राम मानपुर मलिकापुर, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग के पंजीकरण उपरांत थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा तत्परता से विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण से गहन पूछताछ एवं साक्ष्यों का संकलन किया गया। पूछताछ एवं संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्ता ओमा भारती एवं अभियुक्त नन्हे के मध्य प्रेम प्रसंग था तथा ओमकार उनके संबंधों में बाधक बन रहा था। इसी कारण अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ओमकार को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी गयी तथा घटना के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को अभियुक्त नन्हे की बगीया स्थित ग्राम लिनथरा में गाड़ दिया गया। आज दिनांक 05.06.2026 को अभियुक्तगण की निशानदेही पर अपहृत/मृतक ओमकार का शव अभियुक्त नन्हे की बगीया, ग्राम लिनथरा से बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/238/3(5)/61 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण 1. नन्हे पुत्र विजय सिंह एवं 2. ओमा भारती पत्नी ओमकार को दिनांक 05.06.2026 को समय करीब 09:20 बजे ग्राम लिनथरा स्थित अभियुक्त नन्हे की बगीया से गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक ओमकार सिंह की मृत्यु के कारणो का अवलोकन कर विवेचना में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

- ✓ गुमशुदगी क्रमांक–06/2026, दिनांक पंजीकरण – 06.03.2026, थाना – सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
- ✓ मु0अ0सं0–0158/2026, धारा – 140(1), 103(1), 238, 3(5), 61(2) बी0एन0एस0, थाना – सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्तगणो का विवरणः-

1. नन्हे पुत्र विजय सिंह, निवासी ग्राम लिनथरा, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
2. ओमा भारती पत्नी ओमकार, नि0 ग्राम मानपुर मलिकापुर, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहासः

नन्हे पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम लिनथरा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

1. मु0अ0सं0–1664/2017, धारा 323/504/325 भा0द0वि0, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0–0158/2026, धारा 140(1)/103(1)/238/3(5)/61(2) बी0एन0एस0, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण नन्हे पुत्र विजय सिंह एवं ओमा भारती से की गयी पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता ओमा भारती मूल रूप से ग्राम दिवैयापुर की निवासी है। उसकी बड़ी बहन बिट्टन का विवाह लगभग 25 वर्ष पूर्व ग्राम लिनथरा, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर में हुआ था, जिसके कारण ओमा भारती का ग्राम लिनथरा में आना-जाना रहता था। इसी दौरान उसका संपर्क ग्राम लिनथरा निवासी नन्हे पुत्र विजय सिंह से हुआ तथा दोनों के मध्य आपसी बातचीत एवं निकटता बढ़ने लगी, जो बाद में प्रेम संबंध में परिवर्तित हो गयी। उक्त संबंध की जानकारी होने पर ओमकार द्वारा अपनी पत्नी ओमा भारती के साथ मारपीट की गयी, जिससे आहत होकर ओमा भारती अपने पति को छोड़कर अभियुक्त नन्हे के साथ ग्राम लिनथरा में रहने लगी। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्हें आशंका थी कि ओमकार उनके संबंधों के कारण उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। इसी आशंका एवं पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनांक घटना को जब ओमकार तिलहर न्यायालय में तारीख पर गया था, तब अभियुक्तगण द्वारा उसे ग्राम लिनथरा स्थित नन्हे की बगीया में बुलाया गया तथा शराब पिलायी गयी। इसके उपरान्त जब ओमकार नशे की अवस्था में हो गया, तब अभियुक्तगण ओमा भारती एवं नन्हे द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को ग्राम लिनथरा स्थित नन्हे की बगीया में केले के पेड़ के समीप गड्ढा खोदकर दबा दिया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री इरफान अली, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री मनीष शर्मा, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 2633 सौरभ राठी, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 2637 अक्षय राठी, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 युवराज, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
7. म0का0 2863 चंचल, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।
8. म0का0 नेहा, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर।